न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 44/2024 निर्णय दिनांक 26.09.2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/107

कानी पुत्री सुखाराम (पत्नी किशनाराम) जाति मेघवाल निवासी बिग्गा श्रीडूंगरगढ़ हाल गांधी बस्ती सुजानगढ़ जिला चूरू।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी की माता माली पत्नी सुखाराम जाति मेघवंशी निवासिनी बिग्गा की खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रही है । वादिनी की माता माली की मृत्यु सन् 2016 में हो गई। वादिनी की माता की मृत्यु के बाद वादगत खेत की खातेदारी विरास्तन व वसीयत के आधार पर जरिये इन्तकाल संख्या 1423 दिनांकित 22.06.2016 को 1/3 हिस्से की खातेदारी वादिनी की बहिन रूकमणीदेवी पत्नी माणकचन्द जाति मेघवाल निवासी भोजासर तहसील रतनगढ़ के नाम से व 2/3 हिस्से की खातेदारी वादिनी व वादिनी की बहिन रूकमा के नाम दर्ज हो गई। चूंकि वादगत खेत की खातेदारी विरास्तन व वसीयत के आधार पर इन्तकाल सं. 1423 दिनांक 22.06.2016 को दर्ज करते समय वादिनी क़ी बहिन जिसका ससुराल गांव भोजासर तहसील रतनगढ़ है वही अता पता वादिनी के नाम खातेदारी दर्ज करते समय लिख दिया गया जबकि वादिनी का निवास स्थान पीहर बिग्गा व ससुराल गांधी बस्ती सुजानगढ़ जिला चूरू है। वादगत खेत की खातेदारी विरास्तन दर्ज करते समय वादिनी का निवास स्थान पीहर के आधार पर बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ व ससुराल के पत्ते के आधार पर यानी उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर गांधी बस्ती, सुजानगढ़ जिला चूरू होना चाहिए था। फिर सहखातेदार रूकमा पुत्री स्व. सुखाराम ने वादगत खेत में अपने कुल 1/3 हिस्से का परित्याग वादिनी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड परित्याग पत्र द्वारा परित्याग कर दिया जिस पर उक्त खसरा भूमि में सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी वादिनी के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 2961 दिनांक 23.01.2023 के जरिये खातेदारी दर्ज हो गई। वादिनी अनपढ व ग्रामीण परिवेश की महिला है । वादिनी का पीहर ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में रहा है व वादिनी की ससुराल गांधी बस्ती, सुजानगढ़ जिला चूरू में है । वादगत खेत की खातेदारी विरास्तन व वसीयत के आधार पर वादिनी व वादिनी की बहिन रूकमा के नाम दर्ज हुई तो राजस्व अमला द्वारा वादिनी की बहिन के आवास का पता वादिनी के निवास स्थान में भी दर्ज कर दिया गया जो बदस्तूर आज भी चला आ रहा है । वादिनी के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादिनी की ससुराल का पता गांधी बस्ती, सुजानगढ़ अंकित चला आ रहा है। वादिनी के बहिन ने जब अपने हिस्से का परित्याग वादिनी के पक्ष में माह जनवरी 2023 में किया तब उपरोक्त खसरा की भूमि के दस्तावेजात निकलवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया [illegible] जमाबंदी आदि की नकले को निकलवाई तो वादिनी को जानकारी हुई कि वादिनी के पीहर [illegible] खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा [illegible] वादिनी के निवास स्थान का पता

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

बिलकुल ही गलत अंकित हो रखा है यानि वादिनी की बहिन रूकमा के निवास स्थान का अंकन भी वादिनी के नाम अंकित हो रखा है जो कि सही नहीं है। वादिनी राजस्व रिकार्ड में दर्ज साकिन भोजासर तहसील रतनगढ़ के स्थान पर अब अपने निवास स्थान का पता गांधी बस्ती सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाना चाहती है। वादिनी के सभी दस्तावेजों में वादिनी का निवास स्थान गांधी बस्ती सुजानगढ़ जिला चूरू रहा है, वादिनी कभी भी भोजासर तहसील रतनगढ़ की निवासिनी नहीं रही है, केवल राजस्व रिकार्ड में राजस्व अमला विरासतन व वसीयज के आधार पर इन्तकाल दर्ज करते समय वादिनी का गलत निवास स्थान अंकित कर दिया गया है जिसको दुरूस्त करवाने की वादिनी अधिकारिणी है। वादिनी अपने निवास स्थान के सम्बन्ध में दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव भोजासर तहसील रजनगढ़ में कानी पुत्री सुखाराम मेघवाल नाम की कोई महिला नहीं है। वर्णित खसरा भूमि की वादिनी अकेली खातेदार काबिज काश्तकार है जिस पर वादिनी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादिनी उपरोक्त खसरा की भूमि में अपना सही निवास स्थान अंकित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादिनी का सही निवास स्थान अंकित नहीं होने के कारण वादिनी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी. .सी. ऋण लेने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादिनी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रही है। वादगत खेत में वादिनी का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में सही रूप से अंकित नहीं है, इस बाबत वादिनी ने दिनांक 31.01.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा सही निवास स्थान गांधी बस्ती सुजानगढ़ जिला चूरू है जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में विरासतन व वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करते समय मेरा निवास स्थान बिलकुल ही गलत रूप से भोजासर तहसील रतनगढ़ अंकित कर दिया गया है जबकि उक्त निवास स्थान तो मेरी बहिन रूकमनी का है । मेरे तमाम दस्तावेजात में भी मेरा निवास स्थान गांधी बस्ती सुजानगढ़ जिला चूरू अंकित चला आ रहा है, उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादिनी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके सही निवास स्थान की शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादिनी के निवास स्थान की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादिनी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही निवास स्थान की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा में वादिनी का निवास स्थान भोजासर तहसील रतनगढ़ अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने की वादिनी अधिकारी है, उक्त दुरूस्ती होने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं होगा। प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से दिनांक 31.01.2024 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादिनी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादिनी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। यह है कि दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादिनी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादिनी का निवास स्थान सही अंकित नहीं होने से वादिनी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत रोही मौजा बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः वादी [illegible] निवेदन किया है कि वादीगण का

6 दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का जहां सा. भोजासर तहसील रतनगढ़ अंकित हो रखा है उसके स्थान पर सा. गांधी बस्ती, सुजानगढ़ जिला चूरू की घोषणा की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में गलत चले आ रहे निवास स्थान भोजासर तहसील रंतनगढ़ की जगह गांधी बस्ती, सुजानगढ़ जिला चूरू अंकित किया जाकर दुरूस्ति किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहायत कायम नहीं की गई। वादीनी की ओर साक्ष्य पेश की गई। वादीनी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। वादी की ओर से ओर साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने का निवेदन करनें पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का जहां सा. भोजासर तहसील रतनगढ़ अंकित हो रखा है उसके स्थान पर सा. गांधी बस्ती, सुजानगढ़ जिला चूरू की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:11 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

कानी पुत्री सुखाराम (पत्नी किशनाराम) जाति मेघवाल निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ हाल गांधी बस्ती सुजानगढ़ जिला चुरू।

—वादिनी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 44 / 2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 26.09..2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 76 तादादी 4.6800 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का जहां साकिन भोजासर तहसील रतनगढ़ अंकित हो रखा है उसके स्थान पर साकिन गांधी बस्ती, सुजानगढ़ जिला चूरू की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह 009 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ